रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231949
CG-DL-E-17122021-231949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943
No. 655] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-69, 82/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् द्वारा राजपत्र अधिसूचना 29 नवंबर, 2017 द्वारा यह अधिसूचित किया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्देश सं. 1999 का 1 में तारीख 25 अप्रैल, 2017 को आदेशित किया कि श्री डी.के. अग्रवाल, 46-ए, माधव कुंज, प्रताप नगर, आगरा-282010 (सदस्यता सं. 016535) का नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले "अन्य अवचार" का दोषी पाए जाने के कारण पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् राजपत्र अधिसूचना तारीख 29 नवंबर, 2017 द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अन्य मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्देश सं. 1999 का 2 में तारीख 28 सितंबर, 2017 को आदेशित किया कि श्री डी.के. अग्रवाल, 46-ए, माधव कुंज, प्रताप नगर, आगरा-282010 (सदस्यता सं. 016535) का नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले "अन्य अवचार" का दोषी पाए जाने के कारण स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र अधिसूचना तारीख 29 नवंबर, 2017 द्वारा श्री डी.के. अग्रवाल का नाम उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सदस्यों के रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा दिया गया।

माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 2018 की 5733, 2018 की 5652, 2018 की 8118, 2018 तथा की 24350, 2017 में आदेश तारीख 23.09.2021 द्वारा आईसीएआई की परिषद् द्वारा पारित सिफारिश आदेश (शों) को अपास्त कर दिया तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश भी अपास्त किए गए और नए सिरे से विचार करने के लिए विषयों को आईसीएआई परिषद् को वापस भेजा । अत:, अब यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से श्री डी.के. अग्रवाल का नाम सदस्यों के रजिस्टर में पुन: स्थापित कर दिया जाएगा । तथापि, यह भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश तारीख 23.09.2021 के अनुसरण में इस विषय पर परिषद् के पुनर्विचार के और विनिश्चय के अध्यधीन है।

सीए (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./518/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/LAW/D-69, 82/2021.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it was notified vide Gazette Notification 20th November, 2017 by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference Nos. 1 of 1999 ordered on 25th April, 2017 that the name of Shri D.K. Agrawal, 46-A, Madhav Kunj, Pratap Nagar, Agra- 282010 (M.No.016535) be removed from the register of members for a period of five years for having been found guilty of "Other Misconduct" falling under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949.

It was also notified vide Gazette Notification 29th November, 2017 by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has in another case, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference Nos. 2 of 1999 ordered on 28th September, 2017 that the name of Shri D.K. Agrawal, 46-A, Madhav Kunj, Pratap Nagar, Agra-282010 (M.No.016535) be removed from the register of members permanently for having been found guilty of "Other Misconduct" falling under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. In view of the above, vide Gazette Notification 29th November 2017 the name of Shri D.K. Agrawal was removed permanently from the register of members from the date of publication of above notification.

Vide Order dated 23.09.2021 the Hon'ble Supreme Court of India in SLPs Nos. 5733 of 2018, 5652 of 2018, 8118 of 2018 and 24350 of 2017 had set aside the recommendation order(s) passed by the Council of ICAI and the Orders of Allahabad High Court were also set aside and remitted back the matters to the Council of ICAI for fresh consideration. Now, therefore, it is hereby notified that the name of Shri D.K. Agrawal shall be restored in the Register of members from the date of publication of this Notification in the Gazette of India. The same is however, subject to further decision of the Council on reconsideration of matter pursuant to aforesaid Order dated 23.09.2021 of the Hon'ble Supreme Court of India.

CA (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./518/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.17 22:31:58 +05'30'